भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1474

13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत लाभार्थियों की स्थिति

1474. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2024 तक लाभार्थियों का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और जिलावार आंकड़ा क्या है;

(ख) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत सहायता पाने वाले अनुसूचित जाति (एससी) के लाभार्थियों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और जिलावार संख्या कितनी है;

(ग) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत और अभी भी लंबित आवेदनों का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और जिलावार आंकड़ा क्या है;

(घ) क्या पीएमएवाई-यू के अंतर्गत वर्ष 2024 के अंत तक घरों के निर्माण का मूल लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लाभार्थियों को उक्त तारीख तक वास्तव में कितने घर सौंपे गए?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है, ताकि देश में अनुसूचित जाति (एससी) लाभार्थियों सहित पात्र लाभार्थियों/ परिवारों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराए जा सकें।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्ष 2017 में 112.24 लाख

आवासों की आवश्यकता का आकलन किया था। हालांकि, आवास की मांग का स्वरूप परिवर्तनशील होने के कारण इस योजना के कार्यान्वयन के दौरान पात्र बनने वाले अतिरिक्त शहरी परिवारों को भी पीएमएवाई-यू के तहत शामिल किया गया।

शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग के आधार पर, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद इन्हें चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता की स्वीकृति के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है और आमतौर पर योजना के विभिन्न घटकों और संबंधित परियोजनाओं की डीपीआर के अनुसार इसमें 12-36 महीने लगते हैं। आवासों के पूरा होने की समय-सीमा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि बाधा मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण शुरू करने के लिए सांविधिक अनुपालन, लाभार्थियों द्वारा निधियों की व्यवस्था आदि। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने की सलाह दी गई है, ताकि सभी आवास निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे हो जाएं। सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए योजना अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है। दिनांक 03.02.2025 तक, पीएमएवाई-यू के तहत 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं; जिनमें से 112.46 लाख आवासों का निर्माण शुरू हो गया और 90.36 लाख आवास पूरे हो गए।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत 31.12.2024 तक अनुसूचित जाति (एससी) के लाभार्थियों के लिए स्वीकृत आवासों की संख्या के साथ कुल स्वीकृत आवासों की संख्या, स्वीकृत और जारी की गई कुल केंद्रीय सहायता और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों से संबंधित राशि, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवासों की कुल संख्या का जिला-वार विवरण https://pmay-urban.gov.in/PHQ/LSUQ-1474-13022025-district-wise.pdf पर उपलब्ध है।

*****